

**न्यायालय, समाहर्ता, पूर्णियाँ**  
**विधिव अनुमति वाद संख्या-08/2011**  
**बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा 49(जी) अन्तर्गत**

1. बैजनाथ उराँव, पिता-स्व० शुकरा उराँव
  2. विनोद उराँव, पिता-स्व० सोभरा उराँव
- साकिन-लाईन टोला, मरंगा, थाना-के०हाट, ओ०पी०-मरंगा, जिला-पूर्णियाँ

----- आवेदकगण

बनाम्

1. सरकार

----- विपक्षी सं०-1

आ दे श

यह विविध अनुमति वाद आवेदकगण द्वारा अपनी पुत्री की शादी एवं अपनी बिमारी के ईलाज कराने हेतु मौजा-मरंगा, थाना नं०-110, खाता सं०-175, खेसरा नं०-1832 रकवा 0.26 डि० तथा खाता सं०-1586, खेसरा सं०-1826, 1827, 1829 रकवा .026 डि० जमीन राजेश कुमार दास, पिता-नेवा लाल दास सा०-शिवनगर, मरंगा, थाना-के०हाट, मरंगा ओ०पी० के साथ बिक्री करने हेतु बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा 49(जी) अन्तर्गत अनुमति के लिए दायर किया गया है।

आवेदक का कथन है कि प्रश्नगत भूमि पर आवेदक अपने पिता के जीवन काल से दखलकार रहे हैं एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् आवेदक की उक्त भूमि पर दखलकार है। वर्तमान में आवेदक की आर्थिक स्थिति बहुत ही दैन्यनीय है एवं पुत्री विवाह योग्य हो गई है और स्वयं भी अस्वस्थ हो गये हैं तथा आर्थिक आय का अनय कोई श्रोत नहीं है। इस लिए प्रश्नगत जमीन बिक्री करना चाहते हैं।



इस संदर्भ में अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व से प्रतिवेदन की माँग की गई है। अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व ने अपने पत्रांक-1923, दिनांक-12.11.2011 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किये हैं, जिसमें प्रतिवेदित है कि :-

(1) निम्न वर्णित भूमि आवेदकगण के पिता एवं दादा के नाम से जमाबंदी दर्ज है :-

मौजा/थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा
मरंगा-110	175	1832	60 डि
	1586	1826, 1827, 1829	2 एकड़ 13 डि

बिक्री की जानेवाली जमीन का विवरण

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित											
1	2	3											
	<p>(2) निम्न वर्णित भूमि आवेदकगण के पिता एवं दादा के नाम से जमाबंदी दर्ज है :-</p> <table border="1" data-bbox="327 414 1372 555"> <thead> <tr> <th>मौजा/थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा नं०</th> <th>रकवा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">मरगा-110</td> <td>175</td> <td>1832</td> <td>0.06 डि</td> </tr> <tr> <td>1586</td> <td>1826,1827,1829</td> <td>0.17 डि</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) आवेदक के पास कुल शेष भूमि मिल जुमला रकवा 2 एकड़ 50 डी० जमीन बच जाती है।</p> <p>(4) आवेदक लड़की की शादी एवं बिमारी के ईलाज हेतु जमीन बिक्री करना चाहते हैं।</p> <p>(5) वर्तमान में प्रस्तावित भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।</p> <p>(6) प्रश्नगत भूमि के पश्चात् आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते हैं।</p> <p>(7) प्रश्नगत भूमि भूदान, भू-हदबंदी, बिहार सरकार सैरात से मुक्त है।</p> <p>इसमें अंचलाधिकारी द्वारा यह प्रतिवेदित नहीं किया गया है कि प्रश्नगत भूमि में कितने हिस्सेदार हैं एवं प्रत्येक के पास कितने भूमि बचती है। तत्संबंधी जानकारी आवेदक के द्वारा भी अपने आवेदन में नहीं दिया गया है। इस जानकारी के बिना किसी तरह का निर्णय लेना संभव नहीं है। इसमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रस्तावित जमीन बिक्री करने की बात भी आवेदक भूमिहीन श्रेणी में नहीं आते हैं।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिये इसे खारिज करते हुए वाद को समाप्त किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं-संशोधित ।</p> <p> समाहर्त्ता, पूर्णियाँ</p> <p> समाहर्त्ता, पूर्णियाँ</p>	मौजा/थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा	मरगा-110	175	1832	0.06 डि	1586	1826,1827,1829	0.17 डि	
मौजा/थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा										
मरगा-110	175	1832	0.06 डि										
	1586	1826,1827,1829	0.17 डि										